यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज.

ठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

जस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 167/2019

CMS NO. : 2019/00274

-:: प्रार्थीगण ::-

1. कन्हैयालाल पुत्र नौरतलाल
जाति- जैन(खिवसरा),
निवासी- निमाज, जैतारण,
तहसील-जैतारण जिला-पाली।

बनाम

-:: अप्रार्थीगण ::-

1. भंवरनाथ पुत्र नेपालनाथ
2. पूनमनाथ पुत्र भंवरनाथ
3. बालकनाथ पुत्र भंवरनाथ
4. महेन्द्रनाथ पुत्र भंवरनाथ
जातियान- नाथ, निवासीगण-
निमाज, तहसील- जैतारण,
जिला- पाली राज०।

जस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान ाश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 51 सी.पी.सी

तारीख रजू: 04/12/2019

पस्थित

1. श्री करणीदान चारण, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

-:: निर्णय ::-

दिनॉकः 28/12/2021

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा ।12 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 पपठित धारा 151 सीपीसी के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा नेमाज के चक नम्बर एक में खसरा नम्बर 280 रकबा 12-02 बीघा भूमि आई ुई है, यह भूमि सायल के दादा मुलतानमल जी व पिता नौरतमल जी ने रूपये 300/- अक्षरे नौ सौ रूपये में मुसम्मी सीबुरालाल चैला फुलरावल जी कौम नाथ ााकिन निमाज तहसील जैतारण को रोकड अदा कर कब्जा प्राप्त कर लिया तथा इस हेतू बैचान नामा दिनांक 14.03.1957 संवत 2013 के मिती फागण सुदा 13 तैरस को उप-पंजियक जैतारण के समक्ष प्रस्तुत कर पंजिकृत करवाया, पंजिकृ ा बैचान नामा की प्रमाणित प्रति व पासबुक प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। जो ार्थना पत्र का भाग माना जावे। उपरोक्त वर्णित भूमि में से लगभग 14 बिस्वा भूमि मे जलदाय विभाग में पानी की टंकी निर्माण, क्वाटर निर्माण व सड़क जैतारण से बर वाली में चली गयी। बकाया रकबा 11 बीघा व बिस्वा [illegible] सायल के खरीद सुदा व कब्जा सुदा है इस भूमि मे सायल के [illegible] से खुदवाया हुआ बेरा था जो इस जमीन की पिलाई, बैली का [illegible] तथा बेरा मुल्तानसागर से जाना जाता है। तत्पश्चात बेरे पर विधुत सम्बन्ध [illegible]नमल पुत्र बुधमल जी के नाम से लिया हुआ था इस प्रकार दिनांक 14.03.1957 से ही लगातार इस भूमि का बतौर खरीददार के व मालिक के उपयोग व उपभोग करते आ रहे हैं। सायल के दादा व पिता फौत हो चुके है। उपरोक्त वर्णित भूमि मे अप्रार्थीगान का कोई विधिक अधिकार नही है तथा सायल की खरीदसुदा व कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:30:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

भूमि का नाजायज रूप से कब्जा कर अवैध व गैरकानूनी रूप से निर्माण कर तथा मौजूदा अभी आसरलाई सडक की तरफ दुकानो का निर्माण किया जा है तथा दीवार का भी निर्माण किया जा रहा है। जिसे सायल ने दिनांक 01. 2019 को गैरसायलान को बताया कि यह भूमि उसके दादा व पिता की सुदा भूमि पर निर्माण कार्य नही करे तथा अपना नाजायज अतिक्रमण हटा परन्तु गैरसायलान नही माने तथा अन्य लोगो के साथ मिलकर इस भूमि मे यज रूप से 5–7 गैट बनवा दिए है तथा अवैध अतिक्रमण बिना किसी आदेश किया जा रहा है जो गल्त है गैरसायलान संख्या व बल मे अधिक है तथा ल के खरीद सुदा भूमि पर नाजायज व अवैध अतिक्रमण कर निर्माण कर रहे नो गैरसायलान को बेदखल किया जाना आवश्यक है तथा नाजायज व अवैध र्माण रोका जाना जरूरी है इसलिए यह प्रार्थना पत्र सायल की और से सायलान के विरूद्ध पेश है। नकल जमाबंदी चालू प्रार्थना पत्र के साथ पेश है सायलान अन्य लोगो से मिलकर सायल के खरीद सुदा व कब्जा सुदा भूमि मे सायल की सहमति के नाजायज रूप से प्रवेश कर अवैध निर्माण कर रहे है गल्त है इस हेतू राजस्व अधिकारी, तहसीलदार जी जैतारण, पटवारी हल्का ाज को सारी जानकारी है। उपरोक्त भूमि से गैरसायलान को बेदखल कर जो निर्माण किए गए है उनको हटवाकर सायल को कब्जा सुपर्द किया जावे तथा र्माण करने से रोके जावे। सायल के पक्ष मे प्रथम दृष्टीया मजबुत मामला है व विधा का सन्तुलन व बेलेन्स ऑफ कन्वीनियन्स भी सायल के प है तथा प्रार्थना के पद संख्या एक वर्णित भूमि सायल के दादा मुलतानमल जी व पिता रतमल जी ने रूपये 900 में सीबुरावल को रोकड अदा कर कब्जा प्राप्त कर या तथा बैचान नामा दिनांक 14.3.1957 को उप पंजियक जैतारण के समक्ष तुत कर पंजिकृत करवाया गया। सायल के पिता व दादा द्वारा अपने खर्चे से आ भी खुदवाया जिससे जमीन की पिलाई होती थी। परन्तु गैरसायलान अवैध व रकानूनी रूप से निर्माण कर रहे है व आसरलाई सडक की तरफ दुकानो का र्माण किया जा रहा है व दीवार का भी निर्माण किया जा रहा है व नाजायज प से 5–7 गैट भी बनवा दिये व अवैध अतिक्रमण बिना कोई आदेश के किया रहा है जिसे रोका जाना न्यायहित मे आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ त्र व दस्तावेजात के पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि खसरा म्बर 280 रकबा 11 बीघा 08 बिस्वा से गैरसायलान को बेदखल कर निर्माण को हटाया जावे व कब्ज़ा सायल को सुपर्द करावे व दौराने प्रार्थना पत्र गैरसायलान व अन्य कोई निर्माण करे तो उसे हटवाया जावे व निर्माण करने रोका जावे। अन्य कोई आदेश सायल के पक्ष मे हो जारी करावे।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस के तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थनापत्र पेश करते हुये कथन किया है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में दर्ज कथनों का जवाब है कि सरहद मौजा निमांज चक नम्बर 1 में खसरा संख्या 280 रकबा 11-08 बीघा भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar
Date: 2022.01.24 18:30:50
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

बनाम आसन रिद्धरावल की खातेदारी की है तथा जो शाश्वत नाबालिग है, तत्कालिन पुजारी द्वारा उक्त भूमि को दिनांक 14.03.1957 को गुलतानमल जन को बेचान किया जो बेचान कानूनन शून्य है व शिम्भु रावल को बेचान ने का अधिकार नहीं था। यह है कि उक्त भूमि के संबंध में एक राजस्व वाद या 06/2002 व एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212(2) श्रीमान सहायक क्टर जैतारण में इस बात के प्रतिवादी संख्या 1 में सायल के भाई नथमल के रुद्ध पेश किया, जो वादपत्र प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 21. ,2008 को डिक्री हुआ व उसकी अपील संख्या 03/2010 श्रीमान राजस्व पील अधिकारी पाली के समक्ष पेश होने पर उसकी अपील दिनांक 12.11. 10 को खारिज हुई तथा द्वितीय अपील संख्या 111/2011 श्रीमान राजस्व डल अजमेर में नथमल ने विरुद्ध डोली बनाम आसन रिद्धरावल के विरुद्ध पेश , जो दिनांक 22.05.2011 को खारिज हुई व वाद के साथ उक्त भूमि के बंध में इस बाद का संवरवाय2 प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विरुद्ध नथमल के एक र्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) आरटीएक्ट जो बाद बहस स्वीकार होकर यालय द्वारा उक्त भूमि को दिनांक 12.10.2008 को कुर्क कर रिसीवर के ब्जे में लिया तथा न्यायालय के आदेश से दिनांक 15.04.2011 को खसरा ख्या 280 रकबा 1108 बीघा भूमि व उस पर खुदा कुंआ व दुकानें डोली नाम आ रिद्धरावल के अध्यक्ष/प्रन्यासी भंवरनाथ को भौतिक रूप से कब्जा सुपुर्द या, गैरसायल संख्या 1 को श्रीमान सहायक देवस्थान विभाग जोधपुर के निर्णय त्रावली संख्या 110/90 को गैरसायल संख्या 1 को दिनांक 17.09.1990 को ख्य प्रन्यासी नियुक्त किया गया। 2. प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में दर्ज कथनों ा जवाब है कि वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर की भूमि जमाबन्दी में रकबा 1-08 बीघा भूमि डोली बनाम आसन रिद्धरावल स्वयं की खुदकाश्त की भूमि है, ो शाश्वत नाबालिग है। उक्त भूमि में सायल के पिता व दादा ने कुंआ, उस पर द्युत कनेक्शन अपने नाम करने के कथन भी गलत है। उक्त भूमि पर सायल को ोई हक अधिकार नहीं है तो बतौर खातेदार मालिक है, उपयोग उपभोग करने के थन भी गलत है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 3 में दर्ज कथनों का जवाब है कि ार्थना पत्र में वर्णित भूमि में सायल को किसी प्रकार से कोई हक अधिकार वामित्व भी नही है तथा न ही मौके पर कब्जाकाश्त है, तो फिर सायल द्वारा यह कथन करना कि गैरसायलान को कोई अधिकार नहीं होने के कथन गलत है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि डोली बनाम आसन रिद्धरावल खुदकाश्त [illegible] जिस पर अतिक्रमी द्वारा कब्जा होने पर न्यायालय द्वारा [illegible] कारण से गैरसायल संख्या 1 का जायज कब्जा है, तथा मौके पर [illegible] निर्माण नहीं कर रहा है, जो भी निर्माण हुआ जो देवस्थान विभाग की अनुमति से हुआ है। उक्त भूमि का बेचान जो मुलतानमल के पक्ष में हुआ जो कानूनन शून्य है, तथा उक्त भूमि का तहसीलदार द्वारा रेफरेन्स करने पर जिला कलेक्टर महोदय पाली ने उक्त मेटर को राजस्व मण्डल भेजा, रेवेन्यू बोर्ड द्वारा आदेश जारी कर सायल के पिता मुलतानमल का नाम रेवेन्यू रेकर्ड से हटाने के आदेश दिये, जिसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:30:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

नाथरेफरेन्स संख्या 129/1991 दिनांक 06.02.1995 है। तब उक्त भूमि बनाम आसन रिद्धरावल के नाम दर्ज हुई, उक्त भूमि पर गैरसायल संख्या 1 निमांज से आसरलाई जाने वाली रोड़ की तरफ कोई दुकाने निर्माण नहीं कर है, बल्कि सायल द्वारा लाठी व धन बल से अवैध/गैरकानूनी रूप से अतिक्रमण दुकानें बनायी गयी, सायल उक्त भूमि का न तो खातेदार है न ही उक्त भूमि कब्जा काश्त है, न ही उक्त भूमि में हक व अधिकार बनते है तो फिर दिनांक .12.2019 गैरसायलान को बताया कि यह भूमि उसके दादा व पिता की ीदसुदा भूमि पर निर्माण कार्य नहीं करने व अतिक्रमण हटाने व गैरसायलान ो माने तथा अन्य लोगो के साथ मिलकर भूमि पर नाजायज रूप से 5-7 गेट वाने आदि के कथन गलत, झूठे मनमाने तथा राजस्व रेकर्ड में मौके की स्थिति भिन्न अंकित किये है जबकि सायल का उक्त भूमि पर कोई अधिकार नहीं ता है, फिर भी झूठे कथनों के आधार पर व लाठी व धन बल के आधार पर 5 भूमि को येन केन प्रकारण से हड़पना चाहता है, व उस पर नाजायज निर्माण ने पर आमादा है। उक्त भूमि पर पिछले 21 वर्षो से भी अधिक समय से रदाता गैरसायल संख्या 1 देखरेख, सुरक्षा व्यवस्था आदि के काम आज दिन क डोली बनाम आसन रिद्धरावल के हित-हितार्थ हेतु काम कर रहा है। सायल व ई नथमल, व पिता नौरतमल आदि ने आज दिन तक डोली बनाम आसन द्धरावल की भूमि को खुर्द - बुर्द करने के लिये सत्यनारायण पुत्र पुखाराम गुर्जर वासी-उदेशी कुंआ तहसील सोजत को अपने आप को उक्त भूमि का स्वामित्व ना बताकर दिनांक 29.05.2019 को एक मुख्तयारनामा व बेचाननामा निष्पादित या, जिसकी जानकारी होने पर गैरसायल संख्या 1 ने नायब तहसीलदार, हसीलदार व अन्य अधिकारियों के यहा उक्त भूमि पर गैरकानूनी रूप से स्तान्तरण कर वहा पर लाठी व धनबल से अतिक्रमण कर रहें है , जिस पर कोई ार्यवाही नहीं की गई, व उक्त भूमि पर सत्यनारायण द्वारा गैरकानूनी रूप से तिक्रमण कर दुकानों का निर्माण किया, जिसकी रिपोर्ट भी गैरसायल संख्या 1 ने वरनाथसत्यनारायण के विरुद्ध पुलिस थाना जैतारण में दी, जिस पर गैरसायल ंख्या 1 को मारने की धमकी दी। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 4 मे दर्ज कथनों ा जवाब है कि सायल को उक्त भूमि के संबंध में गैरसायलान के विरुद्ध प्रार्थना त्र पेश करने का अधिकार ही नहीं है, सायल के दादा द्वारा तत्कालीन पुजारी शम्भु रावल से जो जमीन क्रय की, जिस पर शिम्भु रावल को कोई खातेदारी अधिकार नहीं थे, क्योंकि उक्त भूमि डोली बनाम आसन रिद्धरा[illegible] त के नाम की है, जो शाश्वत नाबालिग है। गैरसायलान व अन्य लोगो ने [illegible] में प्रवेश कर कोई नाजायज अवैध निर्माण नहीं किया, बल्कि गैरसायल [illegible] 1 उक्त भूमि पर बतौर प्रन्यासी/अध्यक्ष के देखरेख, सुरक्षा आदि का कार्यकर [illegible] तथा वहा पर स्थित देवताओं की सेवा पुजा करता है, इस बाबत गैरसायल संख्या 1 देवस्थान विभाग जोधपुर से प्रन्यासी भी नियुक्त कर रखा है। सायल को उक्त भूमि में कोई अधिकार नहीं मिलते हैं तो फिर उक्त भूमि में कोई कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, तथा उक्त भूमि का सायल के पिता ने 775 वर्गगज भूमि को

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bish
Date: 2022.01.24 18:30:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

। प्रयोजनार्थ में रुपान्तरण कराकर एक पट्टा भी ग्राम पंचायत निमांज से ५ 15.02.1986 को प्राप्त किया, जिसकी जानकारी गैरसायल संख्या 1 को पर राजस्व अपील अधिकारी पाली के यहा एक अपील पेश की जो दिनांक)3.2000 को पट्टा निरस्त किया, जिसकी अपील नौरतमल द्वारा राजस्व ञ में की जो अपील भी दिनांक 04.02.2004 को खारिज हुई। इस प्रकार ल व उसके पिता द्वारा बार-बार डोली बनाम आसन रिद्धरावल की भूमि में कार नहीं होते हुए भी उक्त भूमि का अतिक्रमण करने पर आमादा है। ायल संख्या 1 ने उक्त भूमि पर कोई अवैध निर्माण नहीं किया है, न मंशा उक्त भूमि पर गैरसायल संख्या 1 ने दिनांक 15.04.2011 को श्रीमान व्रण्ड अधिकारी के आदेश से कब्जा प्राप्त किया, अन्य कथन गलत होने से वीकार है। उतरदाता गैरसायल ने जब मौके पर नया कोई निर्माण ही नही ग है। तो उसे विधिवत रुप से प्राप्त किये गये कब्जे से बेदखल करने से उसे ारतम हानि होगी। अतः जवाबप्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर अर्ज है कि यल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कानूनन कोई पोषणीय नहीं होर्ने से मय खर्चा रिज फरमावें।

बहस वकील प्रार्थीगण व अप्रार्थी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई षेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। र उस पर मनन किया। हमनें पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्ययन किया एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। हम प्रकरण को स्थाई व्यादेश से संबंधित निम्नलिखित तीन सारभूत बिन्दुओं के आधार पर विवेचन रते हुए निर्णीत करना समुचित समझते हैः-

– **प्रथमदृष्ट्या मामलाः-** प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा रुद्ध अप्रार्थीगण में निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम निमाज चक प्रथम ख़सरा संख्या 280 रकबा 12-02 बीघा प्रार्थी के दादा मुलतानमल एवं पिता नौरतमल द्वारा मुसम्मी सीबूरावल चैला फूलरावल को 900/- रूपयें अदा कर 14. 03.1957 को उपपंजीयक जैतारण से निस्पादित पंजीकृत बैचाननामा से क्रय की थी जिसका वर्तमान रकबा 11-08 बीघा है। अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर गैरकानूनी रूप से कब्जा कर विधि विरुद्ध निर्माण कर दुकानें आदि का निर्माण कर रहें है। जिनकी बेदखली हेतु प्रार्थी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर [illegible] के कथनों को खण्डित करते हुये कथन किया है कि वादग्रस्त आरा[illegible] डोल[illegible]नाम आसन्न रिद्धरावल की खातेदारी भूमि है, जो शाश्वत [illegible] तथा [illegible] पुजारी द्वारा दिनांक 14.03.1957 को मुलतानमल [illegible] कथित बैचाननामा प्रभाव शून्य है। अतः प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष [illegible] निहित है तथा प्रार्थी एवं सत्यनारायण द्वारा परस्पर बैचान निस्पादित कर उक्त भूमि पर नाजायज दुकानें निर्मित कर रहें हैं। जिन्हें कानूनन तुड़वाई जानी चाहिये।

हमनें पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं भू अभिलेख का अवलोकन किया, जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी डोली बनाम आसन्न रिद्धरावल जी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bish
Date: 2022.01.24 18:30:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

ाशित भूमि है तथा यह शाश्वत नाबालिग की भूमि होने के कारण उक्त भूमि के ध में किसी भी अन्य पक्ष को किसी भी दशा में कोई भी हक एवं अधिकार न ाप्त हो सकता है तथा न ही हस्तान्तरित किये जा सकते है। शाश्वत नाबालिग भूमि के सम्बन्ध में प्रत्येक व्यक्ति एवं पदाधिकारी का यह कर्तव्य होता है कि ऐसी भूमियों का पर्याप्त सजगता के साथ संरक्षण एवं सुरक्षा करें। शाश्वत लिग मंदिर या मूर्ति या देव के नाम से कोई ट्रस्ट, संस्था, या समिति या किसी नाम से कोई भी संगठन बनाकर या पंजीकृत करवा लेने से ऐसे ट्रस्ट, संस्था, ाति या संगठन तथा इनकें पदाधिकारीयों के पक्ष में कोई अधिकार एवं हक न तो ाप्त हो सकते है और न ही प्राप्त या हस्तान्तरित हो सकते है, बल्कि ऐसे ट्रस्ट, था, समिति या संगठन एवं इनके पदाधिकारीयों का ऐसी शाश्वत नाबालिग की ्पतियों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिये अतिरिक्त कर्तव्य एवं जिम्मेदारी अवश्य होती पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् एवं दौराने बहस प्रकट कथनों से यह साबित हुआ कि वादग्रस्त शाश्वत नाबालिग आराजी का उभयपक्षकार द्वारा बिना किसी हक एवं धिकार के इकरार हस्तान्तरण, लीज, विक्रय विलेख, आदि किये गये है, हालांकि ऐसे ग्रस्त कृत्य शाश्वत नाबालिग के हक हिस्सों के विरुद्ध आरम्भतः प्रभाव शून्य होते साथ ही वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि होने के बावजूद इस पर कृषि भिन्न कार्य ये जाकर इसकी उपयोगिता एवं उत्पादकता को क्षति पहुचाई जा रही है। अतः स्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला शाश्वत नाबालिग डोली बनाम आसन्न द्धरावल जी के पक्ष में एवं उभयपक्ष के विरूद्ध में साबित एवं स्थापित होता है।

– **सुविधा का संतुलन** :– चुंकि पूर्व विवेचित बिन्दु संख्या 01 शाश्वत नाबालिग डोली नाम आसन्न रिद्धरावल जी के पक्ष में एवं उभयपक्ष के विरुद्ध में साबित एवं थापित हुआ है, साथ ही डोली बनाम आसन्न रिद्धरावल जी वादग्रस्त आराजी भिलिखित खातेदार होने के कारण सुविधा का संतुलन भी शाश्वत नाबालिग डोली नाम आसन्न रिद्धरावल जी के पक्ष में एवं उभयपक्ष के विरुद्ध में साबित एवं स्थापित होता है।

3– **अपूरणीय क्षति** :– पूर्व विवेचित बिन्दु प्रथमदृष्ट्या मामला एवं सुविधा का सन्तुलन शाश्वत नाबालिग डोली बनाम आसन्न रिद्धरावल जी के पक्ष में एवं उभयपक्ष के विरूद्ध में साबित एवं स्थापित हुये है। बिन्दु संख्या 01 के विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में उभयपक्ष द्वारा स्वयं एवं तृतीय अनाम पक्षों के साथ इकरार एवं अन्य विलेख आदि कर शाश्वत नाबालिग के हिता के विरुद्ध कार्य कर रहे है। अतः उभयपक्ष को यदि जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से निषेधित नहीं किया गया तो यह पूर्ण संभावना है कि शाश्वत नाबालिग डोली बनाम आसन्न रिद्धरावल जी को अपूरणीय क्षति हो सकती है। अतः यह बिन्दु शाश्वत नाबालिग डोली बनाम आसन्न रिद्धरावल जी के पक्ष में एवं उभयपक्ष के विरुद्ध में साबित एवं स्थापित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवचेन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में प्रथमदृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू शाश्वत नाबालिग खातेदार डोली बनाम आसन्न रिद्धरावल जी के पक्ष में एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:30:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

पक्ष के विरूद्ध में साबित एवं स्थापित हुये है। अतः प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा उभयपक्ष को निषेधित किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र र्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व देश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा शाश्वत नाबालिग खातेदार डोली बनाम आसन्न रिद्धरावल जी पक्ष में उभयपक्ष के विरूद्ध में स्थापित एवं बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से इसी ताबिक स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षकारान् को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द क्या जाता हैं कि वह ताफैसला वाद शाश्वत नाबालिग खातेदार डोली बनाम आसन्न द्धरावल जी की वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा निमाज के चक नम्बर एक में खसरा म्बर 280 रकबा 11–08 बीघा किस्म चाही प्रथम के वर्तमान भू अभिलेख में कोई रिवर्तन नहीं करें, किसी प्रकार का बैचान, हस्तान्तरण, रहन, इकरार, लीज, आदि रार निष्पादित नहीं करें, वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का कृषि भिन्न कार्य नहीं रें, किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण आदि नहीं करें, न ही उक्त वादग्रस्त आराजी को किसी अन्य पक्ष को किराये आदि पर दें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर पदेन
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 28/12/20[illegible] खुले–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जैतारण (पाली)
(जिला–पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:30:50 IST
Reason: SelfAttested